H U G O   B O S S

ह्यूगो बॉस (सप्लायर कोड ऑफ़ कंडक्ट) आपूर्तिकर्ता की आचार संहिता

प्रस्तावना: **April 2020**

ह्यूगो बॉस के आपूर्तिकर्ता की आचार संहिता, व्यवसायिक नैतिकता, मानवाधिकार, श्रम और सामाजिक मानकों के साथ-साथ पर्यावरण मानकों का पालन करने से सम्बंधित सामान्य मानकों को व्यक्त करता है. आवश्यकताएं मानव अधिकारों की राष्ट्र (यूएन) सार्वभौमिक घोषणा पर आधारित हैं, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और मानव अधिकारों पर मार्गदर्शक सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुख्य सम्मेलन और बहुराष्ट्रीय अध्यमों के लिए आर्थिक सहयोग और विकास के लिए संगठन के मार्गदर्शक सिद्धांत पर आधारित हैं. इसके अलावा, वे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचे के सम्मेलन के तहत जलवायु कार्यवाही के लिए फैशन उध्योग चार्टर (UNFCC) के सिद्धांतों पर विचार करते हैं. विनिर्देशों को ह्यूगो बॉस और उनके कर्मचारियों के सभी आपूर्तिकर्ताओं के लिए बुनियादी अधिकारों और दायित्वों के रूप में माना जाना चाहिए. आपूर्तिकर्ताओं को अपने कर्मचारियों को उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में उचित रूप से सूचित करने के लिए बाध्य किया जाता है जो ह्यूगो बॉस द्वारा तैयार की गयी आवश्यकताओं के साथ-साथ सम्बंधित राष्ट्रीय लागू कानून से उत्पन्न होते हैं.

ह्यूगो बॉस आपूर्तिकर्ता आचार संहिता उन अनुपालन मानकों का आधार बनाती है जिनका पालन करना ह्यूगो बॉस आपूर्तिकर्ताओं से अपेक्षित है. ह्यूगो बॉस द्वारा तैयार की गयी आवश्यकतायें एक न्यूनतम मानक हैं, जो आवश्यक होने पर खरीद देशों में ह्यूगो बॉस के द्दषटीकोण से एक अपर्याप्त कानूनी स्थिति की पूर्ति कर सकता है. यदि किसी देश में वैधानिक प्रावधानों का ह्यूगो बॉस मानकों के समान उद्देश्य है, तो वह प्रावधान जो श्रमिकों और पर्यावरण के हितों की रक्षा करता है, वह लागू होगा. ह्यूगो बॉस नियमित अंतराल पर आवश्यकताओं के पालन को सत्यापित और अनुकूलित करने का अधिकार रखता है. ह्यूगो बॉस व्यक्तिगत मामलों में सत्यापन करने के तरीके का चयन करेंगे. यदि मानकों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो ह्यूगो बॉस को व्यक्तिगत मामले के सभी परिस्थितियों और उल्लंघन की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधों का अधिकार सुरक्षित है. सभी आवश्यकताओं को व्यापार संबंधों के मौलिक संविदात्मक घटक माना जाएगा. बार-बार उल्लंघन की स्थिति में ह्यूगो बॉस व्यापार संबंध को समाप्त करने का अधिकार रखता है.

1. कानून और व्यावसायिक नैतिकता का अनुपालन :

ह्यूगो बॉस उम्मीद करता है कि उसके सभी आपूर्तिकर्ता सम्बंधित राष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत मानकों का पालन करेंगे. किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और किसी भी प्रकार के अनुचित लाभ देने की मनाई है. ह्यूगो बॉस यह भी उम्मीद करता है कि सभी आपूर्तिकर्ता प्रतिस्पर्धा, मनी लानड्रिंग, प्रतिबंधों और कराधान के बारे में लागू नियमों का पालन करेंगे, और तदनुसार अपने स्वयं के आपूर्तिकर्ताओं को उपकृत करेंगे. व्यावसायिक निर्णय निष्पक्ष रूप से किये जायेंगे और व्यक्तिपरक हितों की देखरेख नहीं की जानी चाहिए. इसके अलावा, आपूर्तिकर्ता इस बात के लिए भी बाध्य हैं कि उनके साथ जो भी डाटा और व्यावसायिक रहस्य साँझा किये जाते हैं वे उन सभी जानकारियों की हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे व आपूर्तिकर्ता सम्बन्ध ख़त्म होने पर उन्हें वापस करेंगे या हटा देंगे.

2. मानवाधिकार और श्रम मानक :

मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करना ह्यूगो बॉस की पहली प्राथमिकता है. सभी आपूर्तिकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने प्रभाव क्षेत्र में सभी व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों का अनुपालन करें. ह्यूगो बॉस किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करता है. आपूर्तिकर्ता एक गुमनाम शिकायत तंत्र स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है जो अपने कर्मचारियों को उल्लंघन की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है. इसके अलावा, आपूर्तिकर्ता के कर्मचारी ह्यूगो बॉस में स्वतंत्र और फ्री-ऑफ-चार्ज व्हिसलब्लोअर प्रणाली का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है.

बाल श्रम :

ह्यूगो बॉस बाल श्रम के सभी रूपों को सख्ती से खारिज करते हैं. इसलिए आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा बाल श्रम का उपयोग दृढता से निषिध्द है. बाल श्रम की परिभाषा ILO के विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों पर आधारित है. रोजगार लेने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष है. सिद्धांत रूप में, वैधानिक अनिवार्य शिक्षा की समाप्ति से पहले रोजगार नहीं लिया जाना चाहिए. यदि 18 वर्ष की आयु से पहले रोजगार लिया जाता है, तो युवा कार्यकर्ता की सुरक्षा के लिए कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना होगा. ये आवश्यकताएँ अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित हैं और बाल श्रम और मजबूर श्रम पर सम्बंधित ह्यूगो बॉस नीति में संक्षिप्त किये गए हैं.

मजबूर श्रम और आधुनिक गुलामी :

ह्यूगो बॉस के आपूर्तिकर्ताओं के लिए काम करने वाले सभी कर्मचारियों को अपने रोजगार के तरीकों और साधनों का चयन करने और इसे वैधानिक और उपयुक्त नोटिस अवधियों के अधीन समाप्त की स्वतंत्रता होनी चाहिए. आपूर्तिकर्ताओं से आग्रह किया जाता है कि वे किसी भी परिस्थिति में मजबूर मजदूरों, कृषि दास, गुलामों, कैदियों या अन्य आश्रित कर्मचारियों को काम पर ना रखें और इस तरह आधुनिक दासता के किसी भी रूप का विरोध करें. कर्मचारियों को अपना कार्य स्थल छोड़ने और वैधानिक नोटिस अवधियों के अधीन रोजगार संबंध समाप्त करने का अधिकार दिया जाना चाहिए. श्रमिकों को हर समय स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति दी जानी चाहिए. नियोक्ताओं को कोई डिपॉज़िट या पहचान दस्तावेज़ या इस तरह के कोई दस्तावेज़ के रखरखाव की अनुमति नहीं है. यदि तृतीय पक्षों का उपयोग भरती का उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो आपूर्तिकर्ता यह सत्यापित

करने के लिए ज़िम्मेदार है की क्या वैधानिक आवश्यकतायें और ह्यूगो बॉस द्वारा निर्धारित नीति का अनुपालन किया जाता है या नहीं. तृतीय पक्षों के भुगतान के माध्यम से उत्पन्न होने वाली लागत किसी भी परिस्थिति में कर्मचारी को पारित नहीं होनी चाहिए.

भेदभाव :

सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और चयन प्रक्रिया के दौरान और पूरे रोजगार संबंधों के दौरान समान अवसरों का अधिकार प्राप्त होना चाहिए. वंश, उत्पत्ति, राष्ट्रीयता, त्वचा का रंग, लिंग, धर्म, विचारधारा, कर्मचारी संघों की सदस्यता, राजनीतिक राय, यौन अभिविन्यास, आयु, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, विकलांगता, बीमारी या किसी भी अन्य व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर किसी भी किस्म के भेदभाव का प्रचलन नहीं होना चाहिए.

मानवीय काम करने की स्थिति :

कर्मचारियों की गरिमा, गोपनीयता और व्यक्तिगत अधिकारों का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए. शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, यौन या मौखिक उत्पीड़न के साथ-साथ, दंड, हमले, दुर्व्यवहार या धमकी भरे व्यवहार की भी मनाही है. अनुशासनात्मक उपायों को केवल वैधानिक प्रावधानों या उन प्रावधानों के सन्दर्भ में अनुमति दी जाती है जो ह्यूगो बॉस द्वारा निर्धारित किये गए है और सभी मामलों में घटना के अनुपात में ही होना चाहिए.

पारिश्रमिक :

कर्मचारी को कम से कम मासिक आधार पर धन के रूप में या उनकी पसंद के एक अलग भुगतान के रूप में उचित रूप से पारिश्रमिक दिया जाएगा. इसके अलावा, कर्मचारी को एक रोजगार अनुबंध और वेतन पर्ची के रूप में सहमत शर्तों के बारे में लिखित रूप में सूचित किया जाएगा. कार्य निष्पादन का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा इस तरह से किया जायेगा कि कर्मचारी की बुनियादी आवश्यकताओं को कवर किया जाए और एक डिस्पोजेबल भाग स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हो. व्यावसायिक साझेदार कम से कम वैधानिक न्यूनतम वेतन का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं या यदि उच्चतर है, तो उद्योग मानक के अनुरूप मजदूरी दी जानी चाहिए. यदि आपूर्तिकर्ता उद्योग में सामान्य रूप से उच्च मजदूरी का भुगतान करने में असमर्थ है, तो उसे तुरंत ही ह्यूगो बॉस को सूचित करना चाहिए न्यायसंगत कारणों के साथ. यह उम्मीद की जाती है कि आपूर्तिकर्ता ह्यूगो बॉस के साथ मिलकर वेतन स्तर को समायोजित करने पर काम करने को तैयार है. इसके अलावा, यह उम्मीद भी की जाती है कि सभी आपूर्तिकर्ता स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण प्रणालियाँ के लिए राष्ट्रीय नियमों का पालन करेंगे.

इसके अलावा, सभी वैधानिक और अन्य लागू आवश्यकताएं (जैसे सामूहिक सौदेबाजी समझौते) को विशेष लाभों के संदर्भ में माना जाना चाहिए. ओवरटाइम का भुगतान प्रिमियम के साथ या इसके बदले समय में किया जाना चाहिए, बशर्ते कि क़ानून द्वारा इसकी अनुमति हो. आपूर्तिकर्ता को अनुशासनात्मक उपायों के रूप में मजदूरी कटौती का उपयोग करने से मना किया जाता है. यदि वैधानिक प्रावधान मौजूद हैं जो किसी कर्मचारी के अनैच्छिक अतिरेक को केवल तभी अनुमति देते हैं यदि मौद्रिक अनुशासनात्मक उपाय पहले से कर्मचारी के खिलाफ किये गए थे, तो सभी उपायों को केवल वास्तविक तथ्यों में रखते हुए लिया जाएगा. आपूर्तिकर्ता प्रकिया चरणों के दस्तावेजीकरण के लिए जिम्मेदार है.

काम करने के घंटे :

बाकी अवधियों, सार्वजनिक अवकाशों पर नियमों सहित कार्य घंटों के बारे में सम्बंधित राष्ट्रीय प्रावधानों का अनुपालन किया जाना चाहिए. यदि कोई राष्ट्रीय प्रावधान नहीं हैं, या यदि ये ILO के प्रावधानों से कम हैं, तो नियमित रूप से साप्ताहिक कामकाजी घंटे 48 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए. ओवरटाइम शामिल करने की अनुमति दी गई है, एक सप्ताह में कुल कार्य समय 60 घंटों से अधिक नहीं होना चाहिए. ओवरटाइम की अनुमति केवल तभी है जब यह स्वैच्छिक है, या यदि ओवरटाइम क़ानून या लागू सामूहिक समझौतों (जैसे सामूहिक सौदेबाजी समझौते) द्वारा विनियमित है और उसी के अनुसार पारिश्रमिक होना चाहिए. छह अनुक्रमिक कार्य दिवसों के बाद, कर्मचारी को कम से कम २४ घंटे की आराम अवधि दी जानी चाहिए. इसके अलावा, प्रत्येक कर्मचारी वैधानिक न्यूनतम अवकाश का दावा करने का हकदार है.

व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा :

आपूर्तिकर्ता को अपने कर्मचारियों की स्वास्थ्य और सुरक्षा की गारंटी उनकी कार्य गतिविधि के दौरान देनी चाहिए और दुर्घटनाओं और व्यावसायिक बीमारियों के खिलाफ उचित एहतियाती उपाय करने चाहिए. आपूर्तिकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए संभावित जोखिमों की पहचान करने, उनका आकलन करने, उनसे बचने और उनसे निपटने के लिए प्रणाली लागू है. लम्बी अवधि में राष्ट्रीय विनिर्देशों का अनुपालन और गारंटी होनी चाहिए. यदि ह्यूगो बॉस एक सुरक्षित और स्वच्छ कार्य वातावरण की गारंटी के लिए इन विशिष्टताओं को अपर्याप्त मानते हैं, तो ह्यूगो बॉस अन्तरराष्ट्रीय श्रम मानकों के अनुरूप अपने स्वयं के विनिर्देशों का दावा करने का अधिकार सुरक्षित रखता है. यहाँ बताई गई आवश्यकताएं सभी अतिरिक्त सुविधाओं, जैसे आवास को भी संदर्भित करती हैं जो आपूर्तिकर्ता को प्रदान करता है.

संघ और सामूहिक सौदेबाजी की स्वतंत्रता :

आपूर्तिकर्ता से अनुरोध है की वे सभी कर्मचारियों को कर्मचारी के उद्देश्य के लिए अपनी पसंद के संगठन बनाने या कर्मचारी संगठनों में शामिल होने का अधिकार दें. कर्मचारी विशेष रूप से काम करने की स्थिति और मजदूरी पर बातचीत करने के लिए स्वतंत्र होंगे. आपूर्तिकर्ता को इस अधिकार का उपयोग करने वाले कर्मचारियों के साथ भेदभाव, नोटिस देना, परेशान करना, भयभीत करना या नुकसान पहुँचाना, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए।.

3. पर्यावरणीय पहलू :

ह्यूगो बॉस अपने आपूर्तिकर्ताओं को अपने सम्बंधित व्यावसायिक गतिविधियों के कारण होनेवाले पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए लगातार काम करने के लिए कहते हैं. कम से कम उत्पादन के देश में पर्यावरण संरक्षण कानूनों और प्रावधानों का अनुपालन किया जाना चाहिए. प्राकृतिक संसाधनों को यथासंभव सुरक्षित और कुशलतापूर्वक संरक्षित किया जाना चाहिए. ऐसा करने में, लोगों और पर्यावरण की रक्षा करना सर्वोपरि है. आपूर्तिकर्ताओं को एक पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है जो विशिष्ट उद्देश्यों के माध्यम से पर्यावरणीय जिम्मेदारी बढ़ाने में योगदान करें.

ग्रीनहाउस वायुवों की ऊर्जा खपत और उत्सर्जन

ग्रीनहाउस गैसों के ऊर्जा और उत्सर्जन के सभी प्रासंगिक स्रोतों की पहचान और निगरानी करना आपूर्तिकर्ताओं की आवश्यकता होती है. आपूर्तिकर्ताओं को ऊर्जा की खपत और उत्सर्जन को कम करने के लिए एक कार्यक्रम स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए. ह्यूगो बॉस ये अपेक्षा करता है कि उसके आपूर्तिकर्ता ऊर्जा दक्षता उपायों और नवीकरणीय ऊर्जा को लगातार आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध होंगे.

पानी की खपत

आपूर्तिकर्ता अपने पानी की खपत को नियंत्रित करेंगे और उचित रणनीतियों को व्यवहार में लाकर इसका अनुकूलन करेंगे. सतह या भूजल से पानी का अवनमन कम से कम राष्ट्रीय या स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए. उत्पादन प्रक्रियाओं वाले आपूर्तिकर्ता जिनमें पानी का सघन उपयोग होता है, उनसे विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है की वे निरंतर आधार पर पानी के उपयोग को कम से कम करें.

रासायनिक और अपशिष्ट जल प्रबंधन

यदि उत्पादन प्रक्रियाओं में रसायनों या अन्य पदार्थों के उपयोग की आवश्यकता होती है जो लोगों या पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करते हैं, तो आपूर्तिकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक खतरनाक पदार्थ प्रबंधन प्रणाली बनायें जो इनके इस्तेमाल, संभाल, संग्रह और परिवहन को नियंत्रित करे. राष्ट्रीय प्रावधानों का अनुपालन किया जाना चाहिए. यदि वैकल्पिक पदार्थ उपलब्ध हैं जो पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए कम हानिकारक हैं, तो आपूर्तिकर्ताओं को इनका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता हैं. रसायनों और अन्य पदार्थों का उपयोग करके, आपूर्तिकर्ता अपशिष्ट जल धाराओं की निगरानी करने और संभावित संदूषण की पहचान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. यह वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार किया जाना चाहिए. नियमित अंतराल पर जांच होनी चाहिए.

कचरा प्रबंधन

ह्यूगो बॉस अपने आपूर्तिकर्ताओं से आग्रह करते हैं कि वे लगातार कचरे को कम करें और स्थानीय वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार परिणामी कचरे का निपटान करें. आपूर्तिकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है की वे कचरे से बचने या पुनरावृत्ति करने के लिए रणनीतियों पर विचार करें.

अन्य पर्यावरणीय पहलू:

आपूर्तिकर्ता के स्थान और विशिष्ट उत्पादन प्रकियाओं के आधार पर, ऊपर सूचीबद्ध पर्यावरणीय पहलुओं के अलावा, राष्ट्रीय या स्थानीय प्रावधान वायु उत्सर्जन, भूमि उपयोग प्रबंधन, जैव विविधता की सुरक्षा, शोर, गंध उत्सर्जन और अन्य पर्यावरणीय पहलुओं पर लागू हो सकते हैं.

4. गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग:

भागीदारों के साथ अपने सहयोग से सम्बंधित सामाजिक परिस्थितियों और पर्यावरणीय मुद्दों को सुधारने के लिए, ह्यूगो बॉस विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के साथ काम करता है. इस तरह की साझेदारी के हिस्से के रूप में, ह्यूगो बॉस के पास संभावित सत्यापन (जैसे कि ऑडिट) के अधिकार को हस्तांतरित करने का अधिकार सुरक्षित है, जो इन साझेदार संगठनों को शुरू में दिए गए थे.

5. अंतिम प्रावधान :

ह्यूगो बॉस अपने आपूर्तिकर्ताओं से अपेक्षा करता है की वे यहाँ निर्धारित मानकों का अनुपालन करें, जिनका अनुपालन ह्यूगो बॉस स्वयं भी करता है, और अपने सहयोगियों से प्रबंधन प्रणालियों, दिशानिर्देशों और प्रक्रिया विनिर्देशों जैसे उपयुक्त सहायक साधनों द्वारा उनके कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए कहता है. सभी आपूर्तिकर्ताओं के कर्मचारियों को यहाँ चर्चा किये गए मुद्दों पर पर्याप्त और नियमित प्रशिक्षण प्राप्त होगा. इसके अलावा, आपूर्तिकर्ता इन विशिष्टताओं को अपने अपस्ट्रीम आपूर्तिकर्ता और भागीदारों को देने के लिए बाध्य हैं और यह सत्यापित करने के लिए कि वे उचित तरीके से अनुपालन कर रहे हैं. ह्यूगो बॉस को यह सत्यापित करने का अधिकार है कि नियमित अंतराल पर, लेकिन कम से कम वार्षिक आधार पर सप्लायर कोड ऑफ कंडक्ट अप-टू-डेट हो, और जहां लागू हो वहां संशोधन करें और अपने आपूर्तिकर्ताओं को उन परिवर्तनों के बारे में संप्रेषित करें.

यह अंग्रेजी में लिखे गए मूल अनुबंध का हिंदी अनुवाद है। दोनों संस्करणों के बीच किसी भी विवाद के मामले में, अंग्रेजी संस्करण प्रबल होगा।.